न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़(राज.)

बइजलास – श्री अभिषेक चारण (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या – 258/2015/राजस्व वाद

उनवान

1. देवीलाल पि. नन्दा जाति गुर्जर नि. पालखन्दा तहसील रायपुर
2. मथरालाल पि. नन्दा जाति गुर्जर नि. पालखन्दा तहसील रायपुर
3. शोभाराम पि. नन्दा जाति गुर्जर नि. पालखन्दा तहसील रायपुर
4. हरीसिंह पि. नन्दा जाति गुर्जर नि. पालखन्दा तहसील रायपुर
5. घनश्याम पि. नन्दा जाति गुर्जर नि. पालखन्दा तहसील रायपुर
6. गीताबाई बेवा नन्दा जाति गुर्जर नि. पालखन्दा तहसील रायपुर

– वादीगण

बनाम

1. गिरधारी पि. मांगीलाल जाति गुर्जर नि. पालखन्दा तहसील रायपुर
2. गोपाल पि. गिरधारी जाति गुर्जर नि. पालखन्दा तहसील रायपुर
3. बालचन्द पि. गिरधारी जाति गुर्जर नि. पालखन्दा तहसील रायपुर
4. रामसिंह पि. गिरधारी जाति गुर्जर नि. पालखन्दा तहसील रायपुर
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर –प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 183 , 209 रा.टी.एक्ट

उपस्थिति – वकील वादीगण – श्री नीलकमल त्रिवेदी

वकील प्रतिवादीगण – श्री विनोद शर्मा

निर्णय **दिनांक :** 24/01/22

संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा ग्राम डावल तहसील रायपुर की वादग्रस्त आराजी ख.नं. 171 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा भूमि जो वादीगण के खाते दर्ज है एवं ग्राम पालखन्दा की आराजी ख.नं. 165 रकबा 12 बिस्वा भूमि जो कि श्री देवजी महाराज के नाम दर्ज रिकार्ड है , के संबंध में राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 183, 209 के तहत वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम डावल की वादग्रस्त आराजियात ख.नं. 171 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा भूमि के 1/2 भाग पर एवं ग्राम पालखन्दा की आराजी ख.नं. 165 रकबा 12 बिस्वा के 1/2 भाग पर प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Charan
Date: 2023.01.30 14:03:36 IST
Reason: SelfAttested

COURT 2022
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with CamScanner

द्वारा नाजायज रूप से कब्जा कर रखा है जबकि मंदिर की पूजा वादीगण कर रहे है एवं प्रतिवादीगण का कोई अधिकार नहीं है। वादीगण ने प्रतिवादीगण से कब्जा छोडने के लिये कहा तो वे लडाई झगडा करने पर आमदा हो गये और जबरन आराजी को अपने नाम दर्ज करवाना चाहते है जिसका उन्हे कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रतिवादीगण अतिक्रमी है। विवादग्रस्त आराजी पर कोई हक नहीं है। वाद कारण दिनांक 30.06.2015 को उस समय उत्पन्न हुआ जब वादीगण ने प्रतिवादीगण को कब्जा छोडने की कही तो उन्होने मना कर दिया एवं लडाई झगडा करने पर उतारू हुये।

अतः वाद वादीगण स्वीकार कर ग्राम डावल तहसील रायपुर की वादग्रस्त आराजी ख.नं. 171 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा भूमि के 1/2 भाग एवं ग्राम पालखन्दा की आराजी ख.नं. 165 रकबा 12 बिस्वा भूमि के 1/2 भाग पर वादीगण को कब्जा दिलवाया जावे।

वाद पत्र के साथ ग्राम डावल की जमाबंदी सं. 2070–73 के खाता सं. 94 एवं ग्राम पालखन्दा की जमाबंदी सं. 2067–70 के खाता सं. 57 की नकल पेश की।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब करने पर प्रतिवादीगण की ओर से एडवोकेट विनोद शर्मा ने वकालातनामा पेश किया परन्तु पर्याप्त अवसर देने के बावजूद जवाब पेश नहीं किया एवं दिनांक 30.10.2018 को प्रतिवादीगण का जवाब बंद किया गया।

साक्ष्यवादी में वादी देवीलाल पि. नन्दा का शपथ पत्र पेश किया गया। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

वाद पत्र , राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया एवं विद्वान अभिभाषक द्वारा की बहस पर गौर किया गया। वाद पत्र में उल्लेखित तथ्यों अनुसार प्रस्तुत वाद में यह पाया कि ग्राम डावल तहसील रायपुर की वादग्रस्त आराजी ख.नं. 171 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा भूमि वादीगण के खाते दर्ज रिकार्ड है उक्त वादग्रस्त आराजी से प्रतिवादीगण का कोई संबंध एवं सरोकार नहीं है इसके बावजूद प्रतिवादीगण द्वारा उक्त आराजियात के 1/2 भाग पर अवैध कब्जा कर रखा है जो कि उचित नहीं है। ग्राम पालखन्दा की आराजी ख.नं. 165 रकबा 12 [illegible] माफी मंदिर श्री देवजी महाराज के नाम दर्ज रिकार्ड है। [illegible] अधिकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Charan
Date: 2023.01.30 14:03:36 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़
COURT 2023

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with CamScanner

लोकस स्टैण्डाई वर्तमान में हासिल नहीं है। अतः वाद पत्र में वर्णित माफी मंदिर श्री देवजी महाराज की आराजी ख.नं. 165 भूमि से संबंधित हक व कब्जे के विषयक, विधि के प्रश्न तथा तथ्यों पर टिप्पणी करना उचित नहीं हैं।

आदेश

इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में वादीगण का वाद आंशिक स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम डावल तहसील रायपुर की वादग्रस्त आराजी ख.नं. 171 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा भूमि जो वादीगण के खाते दर्ज है उक्त भूमि में से प्रतिवादीगण का अवैध कब्जा हटाया जावे।

पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना – अपना वहन करें।

निर्णय आज मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

(अभिषेक चारण)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Abhishek Charan
Date: 2023.01.30 14:03:36 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़ (राज.)

बइजलास – श्री अभिषेक चारण (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या – 258 / 2015 / राजस्व वाद

उनवान

1. देवीलाल पि. नन्दा जाति गुर्जर नि. पालखन्दा तहसील रायपुर
2. मथरालाल पि. नन्दा जाति गुर्जर नि. पालखन्दा तहसील रायपुर
3. शोभाराम पि. नन्दा जाति गुर्जर नि. पालखन्दा तहसील रायपुर
4. हरीसिंह पि. नन्दा जाति गुर्जर नि. पालखन्दा तहसील रायपुर
5. घनश्याम पि. नन्दा जाति गुर्जर नि. पालखन्दा तहसील रायपुर
6. गीताबाई बेवा नन्दा जाति गुर्जर नि. पालखन्दा तहसील रायपुर

– वादीगण

बनाम

1. गिरधारी पि. मांगीलाल जाति गुर्जर नि. पालखन्दा तहसील रायपुर
2. गोपाल पि. गिरधारी जाति गुर्जर नि. पालखन्दा तहसील रायपुर
3. बालचन्द पि. गिरधारी जाति गुर्जर नि. पालखन्दा तहसील रायपुर
4. रामसिंह पि. गिरधारी जाति गुर्जर नि. पालखन्दा तहसील रायपुर
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर –प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 183 , 209 रा.टी.एक्ट

उपस्थिति – वकील वादीगण – श्री नीलकमल त्रिवेदी

वकील प्रतिवादीगण – श्री विनोद शर्मा

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू ....व हाजिरी वकील वादी मिनजामिन मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादी मिलजामिन मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि

प्रस्तुत प्रकरण में वादीगण का वाद आंशिक स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम डावल तहसील रायपुर की वादग्रस्त आराजी ख.नं. 171 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा भूमि जो वादीगण के खाते दर्ज है उक्त भूमि से प्रतिवादीगण का अवैध कब्जा हटाया जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Abhishek Charan
Date: 2023.01.30 14:03:36 IST
Reason: SelfAttested

COURT 2023

उपखण्ड अधिकारी न्यायालय पिड़ावा जिला झालावाड़

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with CamScanner

निज .... मुबलिग .... बाबत् .... खर्चा इस मुकदमें के मय सुद बशरह ....सदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....का अदा करें।

सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 24/1/23 को जारी की गई।

(अभिषेक चारण)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिशनर		
फीस कमिशनर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक मीजान			मीजान		

Signature Not Verified

Digitally signed by Abhishek Charan
Date: 2023.01.30 14:03:36 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner